(c) what are the achievements, so far ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House. The Central Government's constribution varies from 50 per cent to 100 per cent depending upon the schemes.

(c) The funds provided have been fully utilised as would be seen from the comparative statement placed below for 1990-91 and 1991-92. *[See* Appendix CLXIII, Annexure No. 31].

Preference to SC/ST christians

1639. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether ali the preferences and concessions that are given to Hindu and Buddhist belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be extended to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Christians without distinction; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Scheduled Tribes, irrespective of religion, are entitled to the prefernces and concessions meant for them, whereas in case of Scheduled Castes persons professing Hindu Sikh and Buddhis religions only are entitled for such benefits. At present there is no proposal to extend Scheduled Caste benefits to Christians.

सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना

1640. **श्री शान्ति त्यागी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कम लागत की स्वच्छता तथा सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने की स्कीम आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान अधिकतम सम्भाव्य सीमा तक मानव द्वारा सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन के उद्देश्य से प्रारम्भ की है । जहां समस्या बनी हुई है वहां एक समयबद्ध पद्धति में स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं । स्कीम में प्रतिवर्ष 500 कस्बों में "समग्र नगर" आधार पर शुष्क शौचालय को बदलने/नए कम लागत के जलसीलपोर-पलश शौचालयों के निर्माण पर विचार किया गया है। यह स्कीम केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता तथा हुडको से ऋण एक समकालिक रूप में उपलब्ध करवा कर, निधियों की उपलब्धता की शर्तें पर, निम्नलिखित वित्तपोषण पद्धति के अनुसार आवास तथा नगर विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	-45% आर्थिक सहायता 50% ऋण तथा 5% लाभभोगी अंशदान
निम्न आय वर्ग	-25 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 60 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत लाभभोगी अंशदान
मध्यम आय वर्ग/ उच्च आय वर्ग	-शून्य आर्थिक सहायता, 75 प्रतिशत ऋण तथा 25 प्रतिशत लाभभोगी अंशदान

राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि शुल्क शौचालय के लिए आगे निर्माण को रोकने तथा सरकारी भवनों में शुल्क शौचालयों को तुरन्त बदलने के लिए म्यूनिसिपल उप-नियमों में संशोधन करें । राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए शहरी विकास मंत्रालय में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है । स्कीम के कार्यन्वयन को क्रियाशील करने हेतु समय-समय पर पुनरीक्षा बैठकें